सुधार परिपत्र स.20

Member of Parliament Local Area Development Scheme

भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली -110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001
FAX : 23364197
E-mail : mplads@nic.in

Dated ....

फाइल सं.सी/42(7)/2011-एमपीलैड्स

दिनांक: 15.03.2012

सेवा में,

आयुक्त, नगर निगम कोलकाता/चेन्नै/दिल्ली
सभी जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त

विषय:- सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) का पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पीवायकेकेए) तथा युवा मामले एवं खेल मंत्रालय की शहरी खेल आधारी अवसंरचना योजना (यूएसआईएस) के साथ अभिसरण ।

महोदय/महोदया,

पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पीवायकेकेए) तथा युवा मामले एवं खेल मंत्रालय की शहरी खेल आधारी अवसंरचना योजना (यूएसआईएस) के साथ एमपीलैड के अभिसरण की अनुमति देने के बारे में सरकार को कई प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं । मामले की जांच की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि नीचे दिए पैरा के अनुसार इन्हें मिलाने की अनुमति दी जाए । इसे एमपीलैड्स दिशा-निर्देशों में पैरा 3.17.2 के रूप में जोड़ा जाए :-

" **3.17.2 – सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) का पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पीवायकेकेए) तथा युवा मामले एवं खेल मंत्रालय की शहरी खेल आधारी अवसंरचना योजना (यूएसआईएस) के साथ अभिसरण** – और अधिक टिकाऊ परिसंपत्तियों के निर्माण के उद्देश्य से सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) से निधियों को पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पीवायकेकेए) के साथ मिलाया जा सकता है । सांसद, पीवायकेकेए की परियोजना सूची में से पहाड़ी क्षेत्रों के गांवों में खेल के मैदानों को समतल बनाने, चाहरदीवारी का निर्माण कराने इत्यादि सहित, पीवायकेकेए के तहत खेल के मैदानों का विकास जैसे केवल स्थायी एवं टिकाऊ प्रकृति के कार्यों की भी सिफारिश कर सकते हैं बशर्ते कि ये कार्य एमपीलैड योजना के तहत पात्र हों । इसी प्रकार, एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में, बहुउद्देश्यीय स्पोर्ट्स हॉल, एथलेटिक ट्रैक, फुटबॉल हॉकी टर्फ इत्यादि जैसी खेल-कूद संबंधी स्थायी

परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए भी शहरी खेल आधारी अवसंरचना योजना (यूएसआईएस) के साथ अभिसरण की अनुमति दी जाएगी । यह शहरी खेल अवसंरचना के निर्माण के लिए समय-समय पर संशोधित यूएसआईएस के प्रावधानों पर निर्भर करेगा ।

व्यय सम्बंधी खाते एमपीलैड्स और पीवायकेकेए, तथा यूएसआईएस के लिए अनिवार्यतः अलग-अलग रखे जाएंगे । कार्य की लागत, एमपीलैड योजना/पीवायकेकेए, यूएसआईएस से अंशदान, कार्य प्रारंभ तथा समाप्ति एवं उदघाटन की तारीख और एमपीलैड योजना/पीवायकेकेए/यूएसआईएस के तहत कार्य प्रायोजित करने वाले सांसद का नाम दर्शाने वाली एक संयुक्त पट्टिका (पत्थर/धातु) स्थायी रूप से लगाई जानी चाहिए । "

यह भी निर्णय लिया गया है कि "खेल" से संबंधित सेक्टर "X" की मद सं.1 के तहत दायरे को "स्टेडिया" शब्द जोड़ने के लिए बढ़ाया जाए ताकि इस वाक्य का स्वरूप नीचे दिए गए अनुसार हो ।

खेल संबंधी कार्यकलापों के लिए बिल्डिंग/स्टेडिया ।

2. एमपीलैड्स/पीवायकेकेए/यूएसआईएस की अभिसरण स्कीमों के कार्यान्वयन में इन अनुदेशों का सख्ती से पालन किया जाए ।

3. इसे माननीय मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

भवदीय,

(ए.के.चौधरी)
निदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थः-

1. सभी माननीय सदस्य (लोक सभा/राज्य सभा)
2. एमपीलैड्स से सम्बंधित नोडल विभागों के सचिव (सभी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र)
3. एमपीलैड्स संबंधी राज्य सभा समिति, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली
4. एमपीलैड्स संबंधी लोक सभा समिति, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली
5. एमपीलैड्स प्रभाग के सभी सम्बंधित अधिकारी
6. एनआईसीः एमपीलैड्स वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए